राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः–एफ 29( )फायर/डीएलबी/2025/505-855 दिनांक 25/04/2025

**आदेश**

राज्य के सभी अधिसूचित नगरीय क्षेत्रों में अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भवनों में अग्निशमन/अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं यथा अग्नि सुरक्षा यंत्र यथा स्मोक डिटेक्टर, स्प्रिंकलर, एम.सी.बी. हूटर, फायर अलार्म इत्यादि की व्यवस्था करने हेतु राजस्थान नगर पालिका अधिनियम–2009 की धारा 103(1)(vii), 337 एवं सपठित धारा 255, 291 एवं 325 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्व में इस संबंध में जारी समस्त आदेश एवं परिपत्र अधिक्रमित करते हुए विभागीय आदेश दिनांक 14.09.2023 यथा संशोधित जारी किया गया था।

वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी 2024 लागू कर दी गयी है, अतः उक्त पॉलिसी की बिंदु संख्या 2.1 में उल्लेखित तालिका के क्रमांक 8 के क्रम में अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र 03 वर्ष की अवधि हेतु जारी किया जावें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

(इन्द्रजीत सिंह)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग,राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन सचिव, पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
9. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
10. मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर), राजस्थान, जयपुर।
11. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
12. उपनिदेशक क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, समस्त।
13. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त।
14. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/वरिष्ठ नगर नियोजक/संयुक्त विधि परामर्शी नगरीय विकास, आवांसन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
15. रक्षित पत्रावली।

(नवीन यादव)
उप निदेशक (प्रशासन)